सुविधाओं अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावें ।

17. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा, तथा मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध नहीं किया जावें ।

18. स्थल पर अभिन्यास से अनुमोदन संबंधी जानकारी 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा । व इसे विकास स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावें जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सके ।

19. संस्था ए नगर पंचायत बरेली को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

20. विद्युत लाईन के नीचे कोई भूखण्ड मान्य नहीं किये जायेगे विद्युत लाईन से नियमानुसार खड़े रूप मे 3.7 मीटर एवं आड़े के रूप में 1.2 मीटर खुल्ला क्षेत्र छोड़ना होगा ।

21. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है । साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसे कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तो में उल्लेख है ।

22. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु सीवेज टेंक, ओव्हर हैड टेंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्टा कर उसका निष्पादन की व्यवस्था की जाना होगी ।

23. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन एवं भूमि के वाद-विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होने के स्थिति में यह अनुमोदन निरस्त मानी जावेगी ।

संलग्नः अभिन्यास की प्रति

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा, रायसेन (म.प्र.)

विदिशा, दिनांक 14/3/11

पृ. क्रमांक/ 395-398 /जि.का./नग्रानि/11
प्रतिलिपि,

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बरेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. नजूल अधिकारी (राजस्व)जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ ।
3. उपपंजीयक फर्म्स एवं रजिस्ट्रार .... जिला रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ ।
4. आवेदक श्री अमित कुमार वर्मा पुत्र श्री महेश कुमार वर्मा, श्रीमती यशोदा बाई पुत्री नर्बदा प्रसाद निवासी बरेली की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा, रायसेन (म.प्र.)